

# समाहरणालय, पटना।

(कल्याण शाखा)

फोन नं०:- 0612-2219332(कल्याण)  
फैक्स नं०:- 0612-2219332(कल्याण)  
E-mail - dwo-pat-bih@nic.in  
dm-patna.bih@nic.in

पत्रांक:- 2520 / जि०, क०

प्रेषक,

जिला कल्याण पदाधिकारी,  
पटना।

सेवा में,

Principle  
B.N. College Patna

दिनांक:- 20/8/15

विषय:- अनुसूचित जाति प्रवेशिकोतर छात्रवृत्ति 2013-14 के छात्रवृत्ति/अनिवार्य शिक्षण शुल्क की राशि का प्रेषण।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है, कि अनुसूचित जाति प्रवेशिकोतर छात्रवृत्ति 2013-14 के छात्रवृत्ति/अनिवार्य शिक्षण शुल्क की राशि चेक के माध्यम से संलग्न सूची अनुरूप भेजी जा रही है। अनुरोध है कि सूची में अंकित छात्र-छात्राओं को उक्त राशि के भुगतान के पूर्व निम्न तथ्यों के जाँच अपने स्तर से कर ली जाय:-

1. छात्र-छात्राएँ आपके संस्थान के वित्तीय वर्ष 2013-14 के नियमित छात्र हो।
2. छात्र-छात्राएँ संबंधित श्रेणी तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग से संबंधित हो।
3. छात्र-छात्राएँ को उक्त वित्तीय वर्ष के लिए किसी अन्य सरकारी संस्थान से छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हुई हों।
4. छात्र-छात्राएँ को पूर्व में छात्रवृत्ति/अनिवार्य शिक्षण शुल्क जैसा कि सूची में अंकित है, वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए भुगतान नहीं कर दिया गया हों। छात्रवृत्ति की राशि भुगतान से पूर्व छात्र-छात्राओं के खाता की जाँच अपने स्तर से कर ली जाय अथवा इस आशय की शपथ पत्र प्राप्त कर ली जाय कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में पूर्व से छात्रवृत्ति की राशि प्राप्त नहीं है, इस शपथ पत्र को प्राप्ति रशिद के साथ अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाय।
5. अगर संस्थान एवं छात्र-छात्राओं को दो बार राशि प्राप्त हुई हो तो अधिशेष एवं राशि अद्योहस्ताक्षरी के पदनाम से वापस कर दी जाय। अनियमित भुगतान की जिम्मेवारी आपकी होगी।

अनुलग्नक:-

चेक सं०:-

राशि:-

049259 Rs 20/08/15

115540/-

विश्वासमाजन

जिला कल्याण पदाधिकारी  
पटना।

जिला कल्याण पदाधिकारी  
पटना।

जापांक

दिनांक

उपलब्ध :- गाजीर पिला-कल्याण कॉलेज पटना  
को संचालक एवं आवस्यक कोर्टों पर डी।

संगीत  
(कल्याण शाखा)

दिनांक:- 12-03-14

पत्रांक:- 712 / जि०, क०

प्रेषक,  
जिला कल्याण पदाधिकारी,  
पटना।

सेवा में,

प्राचार्य/रजिस्ट्रार/  
B.N. College  
Ashok Rajbath  
Patna

विषय:-  
वित्तीय वर्ष 2012-13 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति  
के छात्र/छात्राओं के स्वीकृत सूचि का प्रेषण।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वर्ष 2012-13 में अनुसूचित  
जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति के छात्र/छात्रा जो आपके महाविद्यालय/संस्थान  
में अध्ययनरत है। उनकी स्वीकृत सूची संलग्न ~~में~~ भेजी जा रही है। सूचि में वर्णित छात्रों की  
शिक्षण शुल्क की राशी आपके खाता संख्या..... में  
NEFT/RTGS के माध्यम से अंतरण किया जा चुका है। किसी छात्र/छात्रा को दो बार शुल्क  
भेज दिया गया है तो इसे अविलम्ब वापस किया जाय।

अतः अनुरोध है की छात्रों द्वारा आपके महाविद्यालय/संस्थान में शिक्षण  
शुल्क की राशि जमा कर दिया है तो नियमानुकूल सूची में अंकित छात्रों का भेजे गए शिक्षण  
शुल्क की राशि जाँच करने के पश्चात् संबंधित छात्र को भुगतान करना सुनिश्चित किया जाय  
एवं इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र इस कार्यालय को अविलम्ब उपलब्ध कराने की कृपा की  
जाय। इसकी पूर्ण जवाबदेही संस्थान की होगी।

अनुलग्नक:- ..... पत्ने सूची।

विश्वासभाषित  
जिला कल्याण पदाधिकारी  
पटना।

33

D.W.O\_Praveen\_Letter

62

		1420	3520	
--	--	------	------	--

# समाहरणालय, पटना।

(कल्याण शाखा)

फोन नं०:- 0612-2219332(कल्याण)  
फैक्स नं०:- 0612-2219332(कल्याण)  
E-mail - dwo-pat-bih@nic.in  
dm-patna.bih@nic.in

पत्रांक:- 929 / जि०, क०

दिनांक:- 24/3/14

प्रेषक,

जिला कल्याण पदाधिकारी,  
पटना।

सेवा में,

प्राचार्य/रजिस्ट्रार./निदेशक

B. N. College  
Patna.

विषय:- वित्तीय वर्ष 2012-13 में अनुसूचित जाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति (OFFLINE APPLICATION FORM) हेतु छात्र/छात्राओं के स्वीकृत छात्रवृत्ति राशि का बैंकर्स चेक भेजने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2012-13 में आपके संस्थान में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं से ऑफ लाइन आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है, जिसकी स्वीकृति जिला स्तरीय छात्रवृत्ति समिति द्वारा दी गई है। संबंधित छात्रों की छात्रवृत्ति राशि एवं शिक्षण शुल्क RTGS/NEFT के माध्यम से भेजी गई है, परन्तु खाता में कतिपय त्रुटियों के कारण राशि अंतरित नहीं हो पायी है, से संबंधित छात्रों का बैंकर्स चेक बनाकर इस पत्र के साथ संलग्न कर भुगतान हेतु भेजी जा रही है। विदित हो कि वित्तीय वर्ष-2012-13 में प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति ऑन लाईन आवेदन पत्रों के आधार पर भी भेजी गई है। अनुरोध है कि अपने स्तर से इस तथ्य की जाँच कर ली जाए कि किन्हीं छात्रों को एक ही वित्तीय वर्ष के लिए दो छात्रवृत्ति राशि एवं शिक्षण शुल्क प्राप्त न हो। अगर किसी छात्र की छात्रवृत्ति राशि एवं शिक्षण शुल्क दोबारा भेज दी गई है तो एक वास्तविक राशि अधोहस्ताक्षरी को वापस कर दी जाए।

पत्र के साथ संलग्न सूची के छात्रों को निम्न शर्तों के अधीन ही छात्रवृत्ति राशि का भुगतान किया जाय। विदित हो कि इनकी शिक्षण शुल्क की राशि आपके संस्थान के खाते में RTGS/NEFT के माध्यम से अंतरित कर दी गई है। अगर संस्थान द्वारा छात्र से शिक्षण शुल्क की राशि ली गई हो तो उनका वास्तविक भुगतान करते हुए अगर किसी प्रकार की अंतर राशि है तो उसे अधोहस्ताक्षरी को वापस कर दी जाए :-

1. छात्र अनुसूचित जाति से संबंधित हो।
2. बिहार के मूल निवासी हो।
3. वित्तीय वर्ष 2012-13 में आपके संस्थान के नियमित छात्र हो।

किसी प्रकार की अनियमित भुगतान की पूर्ण जवाबदेही आपकी होगी।

अनुलग्नक:- 3 पन्ने सूची।

चेक संख्या:- 021631।

Mr. Avaneet N.  
14/3/14

D:/Rahul\_Bharti

Cheque No-021552  
Avaneet-17604-Deposited  
in Avaneet A/c on 12/10/32  
14/3/14

35

विश्वासभाजन

जिला कल्याण पदाधिकारी  
पटना।

# समाहरणालय, पटना।

(कल्याण शाखा)

फोन नं०:- 0612-2219332(कल्य)  
फैक्स नं०:- 0612-2219332(कल्य)  
E-mail - dwo-pat-bih@nic  
dm-patna.bih@nic

पत्रांक:- 1065 / जि०, क०

दिनांक:- 4/4/14

प्रेषक,

जिला कल्याण पदाधिकारी,  
पटना।

सेवा में,

प्राचार्य/रजिस्ट्रार/निदेशक

B.S. College  
Patna

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2012-13 में अनुसूचित जाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति (ONLINE APPLICATION FORM) हेतु छात्र/छात्राओं के स्वीकृत छात्रवृत्ति राशि का बैंकर्स चेक भेजने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2012-13 में आपके संस्थान में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं से ऑन लाइन आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है, जिसकी स्वीकृति जिला स्तरीय छात्रवृत्ति समिति द्वारा दी गई है। संबंधित छात्रों की छात्रवृत्ति राशि एवं शिक्षण शुल्क RTGS/NEFT के माध्यम से भेजी गई है, परन्तु खाता में कतिपय त्रुटियों के कारण राशि अंतरित नहीं हो पायी है, से संबंधित छात्रों का बैंकर्स चेक बनाकर इस पत्र के साथ संलग्न कर भुगतान हेतु भेजी जा रही है। अनुरोध है कि अपने स्तर से इस तथ्य की जाँच कर ली जाए की किन्ही छात्रों को एक ही वित्तीय वर्ष के लिए दो छात्रवृत्ति राशि एवं शिक्षण शुल्क प्राप्त न हो। अगर किसी छात्र की छात्रवृत्ति राशि एवं शिक्षण शुल्क दोबारा भेज दी गई है तो एक वास्तविक राशि अधोहस्ताक्षरी को वापस कर दी जाए।

पत्र के साथ संलग्न सूची के छात्रों को निम्न शर्तों के अधीन ही छात्रवृत्ति राशि का भुगतान किया जाय। विदित हो कि इनकी शिक्षण शुल्क की राशि आपके संस्थान के खाते में RTGS/NEFT के माध्यम से अंतरित कर दी गई है। अगर संस्थान द्वारा छात्र से शिक्षण शुल्क की राशि ली गई हो तो उनका वास्तविक भुगतान करते हुए अगर किसी प्रकार की अंतर राशि है तो उसे अधोहस्ताक्षरी को वापस कर दी जाए :-

1. छात्र अनुसूचित जाति से संबंधित हो।
2. बिहार के मूल निवासी हो।
3. वित्तीय वर्ष 2012-13 में आपके संस्थान के नियमित छात्र हो।

किसी प्रकार की अनियमित भुगतान की पूर्ण जवाबदेही आपकी होगी।

अनुलग्नक - 01 पन्ने सूची।

चेक संख्या:- 21859

21846 02

विश्वासभाजन

जिला कल्याण पदाधिकारी  
पटना।

Mr. Avaneet  
Ravi Prasad, DWO, Patna

37

cheque no-021559  
Amount-17000 deposited  
in A/Bank A/c no-121032  
4/4/14

पटना समाहरणालय, पटना  
(कल्याण शाखा) ✓

पत्रांक 7182/ जि०क० दिनांक - 13/8/14

प्रेषक,

जिला कल्याण पदाधिकारी,  
पटना।

सेवा में,

प्राचार्य,

~~बी० एन० कॉलेज~~  
पटना।

(SC)

विषय :- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पोस्ट मैट्रिक 2012-13 की छात्रवृत्ति/ शिक्षण शुल्क कीराशि भेजने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिये अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति एवं शिक्षण शुल्क की संलग्न सूची में अंकित छात्र/छात्राओं के नाम के सामने अंकित राशि को भुगतान करने हेतु चेक सं० 158425 दिनांक 12/8/14 राशि 11548 संलग्न कर भेजा जाता है।

आपसे अनुरोध है कि छात्र/छात्राओं के नाम के सामने अंकित राशि का भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से कर उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजना सुनिश्चित करेंगे। भुगतान करने के पूर्व आप सुनिश्चित होंगे चाहेंगे कि उक्त अवधि के लिये किसी प्रकार की छात्रवृत्ति की राशि छात्र/छात्रा के द्वारा नहीं ली गयी है। अगर भुलवश किसी छात्र/छात्रा की छात्रवृत्ति राशि दोबारा भेज दी गयी हो तो उसे वापस करने की कृपा करेंगे।

अनुलग्नक :-

चेक सं०

राशि 11548 = ००

विश्वासभाजन

12/8/14  
जिला कल्याण पदाधिकारी  
पटना

31/8/14

# समाहरणालय, पटना।

(कल्याण शाखा)

फोन नं०- 0612-2219332(कल्याण)  
फैक्स नं०- 0612-2219332(कल्याण)  
E-mail - dwo-pat-bih@nic.in  
dm-patna.bih@nic.in

पत्रांक:- 870 / जि०, क०  
प्रेषक,

दिनांक:- 9/9/13

जिला कल्याण पदाधिकारी  
पटना।

रजिस्ट्रार/प्राचार्य/प्राचार्या,

*P.N. College,  
Patna*

विषय:- पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं का शिक्षण शुल्क/विविध शुल्क भुगतान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि आपके विश्वविद्यालय/कॉलेज अन्तर्गत अध्ययनरत पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं का छात्रवृत्ति उनके खाते में अन्तरण कर दिया गया है एवं शिक्षण शुल्क/विविध शुल्क का चेक इस पत्र के साथ(सूची के साथ) संलग्न कर भेजा जा रहा है।

अतः जिन छात्रों द्वारा छात्रवृत्ति शिक्षण शुल्क/विविध शुल्क का भुगतान कर दिया गया है तो उनका भेजी गई शिक्षण शुल्क/विविध शुल्क की राशि संबंधित छात्र/छात्रा को वापस करने से पहले निम्न विन्दुओं का अनुपालन करना आवश्यक है:-

1. सूची में अंकित छात्र आपके महाविद्यालय में अध्ययनरत नहीं है तो उनकी भेजी गई राशि वापस किया जाए साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए की किसी छात्र/छात्रा को एक ही वित्तीय वर्ष में दो बार छात्रवृत्ति शिक्षण शुल्क/विविध शुल्क का भुगतान न हो, अगर किसी छात्र/छात्रा का दो बार शुल्क भेज दिया गया हो तो इसे अविलम्ब वापस किया जाए।
2. सूची में अंकित अल्पसंख्यक छात्र/छात्रा है तो उनका शिक्षण शुल्क देने से पहले उनसे इस आशय का शपथ पत्र लेना आवश्यक है कि वे किसी दूसरे संस्थान से छात्रवृत्ति/शिक्षण शुल्क प्राप्त नहीं किये है, अगर प्राप्त किये है तो इस राशि को अविलम्ब वापस कर दिया जाय।
3. सूची में अंकित छात्र/छात्रा आपके संस्थान में अध्ययनरत है अथवा नहीं, इसकी जाँच कर ही इनको छात्रवृत्ति/शिक्षण शुल्क भुगतान किया जाय। इसकी सारी जिम्मेवारी आपकी होगी।

वित्तीय वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में भेजी गई शिक्षण शुल्क/विविध शुल्क की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र इस कार्यालय को अविलम्ब उपलब्ध कराया जाय।

क्र०	दिनांक	चेक संख्या	राशि	विश्वासभाजन
		017460	52,069/-	
	08/09/13			

D:/Rahul\_Praveen Sir 50

जिला कल्याण पदाधिकारी  
पटना।  
29/9/13

# समाहरणालय, पटना।

(कल्याण शाखा)

फोन नं०- 0612-2219332(कल्याण)  
फैक्स नं०- 0612-2219332(कल्याण)  
E-mail - dwo-pat-bih@nic.in  
dm-patna.bih@nic.in

पत्रांक:- 997 / जि०, क०  
प्रेषक,

दिनांक:- 10/9/13

जिला कल्याण पदाधिकारी  
पटना।

सेवा में,

रजिस्ट्रार/प्राचार्य/प्राचार्या,

B.N. College.  
Patna.

विषय:-

पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं का शिक्षण शुल्क/विविध शुल्क भुगतान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि आपके विश्वविद्यालय/कॉलेज अन्तर्गत अध्ययनरत पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं का छात्रवृत्ति उनके खाते में अन्तरण कर दिया गया है एवं शिक्षण शुल्क/विविध शुल्क का चेक इस पत्र के साथ(सूची के साथ) संलग्न कर भेजा जा रहा है।

अतः जिन छात्रों द्वारा छात्रवृत्ति शिक्षण शुल्क/विविध शुल्क का भुगतान कर दिया गया है तो उनका भेजी गई शिक्षण शुल्क/विविध शुल्क की राशि संबंधित छात्र/छात्रा को वापस करने से पहले निम्न विन्दुओं का अनुपालन करना आवश्यक है:-

1. सूची में अंकित छात्र आपके महाविद्यालय में अध्ययनरत नहीं है तो उनकी भेजी गई राशि वापस किया जाए साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए की किसी छात्र/छात्रा को एक ही वित्तीय वर्ष में दो बार छात्रवृत्ति शिक्षण शुल्क/विविध शुल्क का भुगतान न हो, अगर किसी छात्र/छात्रा का दो बार शुल्क भेज दिया गया हो तो इसे अविलम्ब वापस किया जाए।
2. सूची में अंकित अल्पसंख्यक छात्र/छात्रा है तो उनका शिक्षण शुल्क देने से पहले उनसे इस आशय का शपथ पत्र लेना आवश्यक है कि वे किसी दूसरे संस्थान से छात्रवृत्ति/शिक्षण शुल्क प्राप्त नहीं किये है, अगर प्राप्त किये है तो इस राशि को अविलम्ब वापस कर दिया जाय।
3. सूची में अंकित छात्र/छात्रा आपके संस्थान में अध्ययनरत है अथवा नहीं, इसकी जाँच कर ही इनको छात्रवृत्ति/शिक्षण शुल्क भुगतान किया जाय। इसकी सारी जिम्मेवारी आपकी होगी।

वित्तीय वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में भेजी गई शिक्षण शुल्क/विविध शुल्क की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र इस कार्यालय को अविलम्ब उपलब्ध कराया जाय।

क्र०

दिनांक

चेक संख्या

राशि

विश्वासभाजन

017528  
10/9/13

~~191055-00~~  
Rs. 165215 = 00

जिला कल्याण पदाधिकारी  
पटना।  
10/9/13

# समाहरणालय, पटना।

(कल्याण शाखा)

फोन न०- 0612-2219332(कल्याण)  
फैक्स न०- 0612-2219332(कल्याण)  
E-mail - dwo-pat-bih@nic.  
dm-patna.bih@nic.

पत्राक:- 2866 / जि०, क०  
प्रेषक,

दिनांक:- 31/10/13

सेवा में,

जिला कल्याण पदाधिकारी  
पटना।

रजिस्ट्रार/प्राचार्य/प्राचार्या,

B.N. College

Pahar

विषय:-

पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं का शिक्षण शुल्क/विविध शुल्क भुगतान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि आपके विश्वविद्यालय/कॉलेज अन्तर्गत अध्ययनरत पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं का छात्रवृत्ति उनके खाते में अन्तरण कर दिया गया है एवं शिक्षण शुल्क/विविध शुल्क का चेक इस पत्र के साथ(सूची के साथ) संलग्न कर भेजा जा रहा है।

अतः जिन छात्रों द्वारा छात्रवृत्ति शिक्षण शुल्क/विविध शुल्क का भुगतान कर दिया गया है तो उनका भेजी गई शिक्षण शुल्क/विविध शुल्क की राशि संबंधित छात्र/छात्रा को वापस करने से पहले निम्न विन्दुओं का अनुपालन करना आवश्यक है:-

1. सूची में अंकित छात्र आपके महाविद्यालय में अध्ययनरत नहीं है तो उनकी भेजी गई राशि वापस किया जाए साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए की किसी छात्र/छात्रा को एक ही वित्तीय वर्ष में दो बार छात्रवृत्ति शिक्षण शुल्क/विविध शुल्क का भुगतान न हो, अगर किसी छात्र/छात्रा का दो बार शुल्क भेज दिया गया हो तो इसे अविलम्ब वापस किया जाए।
2. सूची में अंकित अल्पसंख्यक छात्र/छात्रा है तो उनका शिक्षण शुल्क देने से पहले उनसे इस आशय का शपथ पत्र लेना आवश्यक है कि वे किसी दूसरे संस्थान से छात्रवृत्ति/शिक्षण शुल्क प्राप्त नहीं किये है, अगर प्राप्त किये है तो इस राशि को अविलम्ब वापस कर दिया जाय।
3. सूची में अंकित छात्र/छात्रा आपके संस्थान में अध्ययनरत है अथवा नहीं, इसकी जाँच कर ही इनको छात्रवृत्ति/शिक्षण शुल्क भुगतान किया जाय। इसकी सारी जिम्मेवारी आपकी होगी।

वित्तीय वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में भेजी गई शिक्षण शुल्क/विविध शुल्क की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र इस कार्यालय को अविलम्ब उपलब्ध कराया जाय।

क्र०

दिनांक

चेक संख्या

राशि

विश्वासभाजन

173428

79,299/-

30/10/13

जिला कल्याण पदाधिका  
पटना  
31/10/13

# समाहरणालय, पटना।

(कल्याण शाखा)

फोन नं०- 0812-2219332(कल्याण)  
फैक्स नं०- 0812-2219332(कल्याण)  
E-mail - drc@praveenbhat.com  
drc@praveenbhat.com

दिनांक- 14/11/13

पत्रांक- 3839 / जि०. क०  
प्रेषक,

जिला कल्याण पदाधिकारी  
पटना।

सेवा में,

रजिस्ट्रार/प्रचार्य/प्राचार्या,

B.N College

Ashek Raj Path

विषय-

पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं का शिक्षण शुल्क/विविध शुल्क मुगतान करने के संबंध में।

महाराय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि आपके विश्वविद्यालय/कॉलेज अन्तर्गत अध्ययनरत पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं का छात्रवृत्ति उनके खाते में अन्तरण कर दिया गया है एवं शिक्षण शुल्क/विविध शुल्क का चेक इस पत्र के साथ(सूची के साथ) संलग्न कर भेजा जा रहा है।

अतः जिन छात्रों द्वारा छात्रवृत्ति शिक्षण शुल्क/विविध शुल्क का मुगतान कर दिया गया है तो उनका भेजी गई शिक्षण शुल्क/विविध शुल्क की राशि संबंधित छात्र/छात्रा को वापस करने से पहले निम्न विन्दुओं का अनुपालन करना आवश्यक है-

1. सूची में अंकित छात्र आपके महाविद्यालय में अध्ययनरत नहीं है तो उनकी भेजी गई राशि वापस किया जाए साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किसी छात्र/छात्रा को एक ही वित्तीय वर्ष में दो बार छात्रवृत्ति शिक्षण शुल्क/विविध शुल्क का मुगतान न हो, अगर किसी छात्र/छात्रा का दो बार शुल्क भेज दिया गया हो तो इसे अविलम्ब वापस किया जाए।
2. सूची में अंकित अल्पसंख्यक छात्र/छात्रा है तो उनका शिक्षण शुल्क देने से पहले उनसे इस आशय का शपथ पत्र लेना आवश्यक है कि वे किसी दूसरे संस्थान से छात्रवृत्ति/शिक्षण शुल्क प्राप्त नहीं किये हैं, अगर प्राप्त किये हैं तो इस राशि को अविलम्ब वापस कर दिया जाय।
3. सूची में अंकित छात्र/छात्रा आपके संस्थान में अध्ययनरत है अथवा नहीं, इसकी जाँच कर ही इनको छात्रवृत्ति/शिक्षण शुल्क मुगतान किया जाय। इसकी सारी जिम्मेवारी आपकी होगी।

वित्तीय वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में भेजी गई शिक्षण शुल्क/विविध शुल्क की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र इस कार्यालय को अविलम्ब उपलब्ध कराया जाय।

क्र०

दिनांक

चेक संख्या

राशि

145568  
11/11/13

25,000/-

विश्वासमार्फत

जिला कल्याण पदाधिकारी  
पटना।  
14/11/13

D/-Rahul Praveen Sir

50

# समाहरणालय, पटना।

(कल्याण शाखा)

फोन नं०- 0512-2219332(कल्याण)  
फैक्स नं०- 0512-2219332(कल्याण)  
E-mail - dwo-pat-bih@nic.  
dm-patna.bih@nic.

पत्रांक- 3107 / जि०. क०  
प्रेषक,

दिनांक- 6/11/13

सेवा में,

जिला कल्याण पदाधिकारी  
पटना।

रजिस्ट्रार / प्रोफेसर / प्राचार्य,

B. N. College,  
Patna.

विषय:- पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं का शिक्षण शुल्क/विविध शुल्क मुगतान करने के संबंध में।

महाराय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि आपके विश्वविद्यालय/कॉलेज अन्तर्गत अध्ययनरत पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं का छात्रवृत्ति उनके खाते में अन्तरण कर दिया गया है एवं शिक्षण शुल्क/विविध शुल्क का चेक इस पत्र के साथ(सूची के साथ) संलग्न कर भेजा जा रहा है।

अतः जिन छात्रों द्वारा छात्रवृत्ति शिक्षण शुल्क/विविध शुल्क का मुगतान कर दिया गया है तो उनका भेजी गई शिक्षण शुल्क/विविध शुल्क की राशि संबंधित छात्र/छात्रा को वापस करने से पहले निम्न विन्दुओं का अनुपालन करना आवश्यक है:-

1. सूची में अंकित छात्र आपके महाविद्यालय में अध्ययनरत नहीं है तो उनकी भेजी गई राशि वापस किया जाए साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए की किसी छात्र/छात्रा को एक ही वित्तीय वर्ष में दो बार छात्रवृत्ति शिक्षण शुल्क/विविध शुल्क का मुगतान न हो, अगर किसी छात्र/छात्रा का दो बार शुल्क भेज दिया गया हो तो इसे अविलम्ब वापस किया जाए।
2. सूची में अंकित अल्पसंख्याक छात्र/छात्रा है तो उनका शिक्षण शुल्क देने से पहले उनसे इस आशय का शपथ पत्र लेना आवश्यक है कि वे किसी दूसरे संस्थान से छात्रवृत्ति/शिक्षण शुल्क प्राप्त नहीं किये हैं, अगर प्राप्त किये हैं तो इस राशि को अविलम्ब वापस कर दिया जाय।
3. सूची में अंकित छात्र/छात्रा आपके संस्थान में अध्ययनरत है अथवा नहीं, इसकी जाँच कर ही इनको छात्रवृत्ति/शिक्षण शुल्क मुगतान किया जाय। इसकी सारी जिम्मेवारी आपकी होगी।

वित्तीय वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में भेजी गई शिक्षण शुल्क/विविध शुल्क की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र इस कार्यालय को अविलम्ब उपलब्ध कराया जाय।

क्र०

दिनांक

चेक संख्या

राशि

निश्चय/समाप्त

17365  
3/11/13

49,100/-

जिला कल्याण पदाधिकारी

30/11/13

समाहरणालय, पटना।  
(कल्याण शाखा)

फोन न०:- 0612-2219332(कल्याण)  
फैक्स न०:- 0612-2219332(कल्याण)  
E-mail - dwo-pat-bih@nic.in  
dm-patna.bih@nic.in

पत्रांक:- 9361/जि०, क०  
प्रेषक,

दिनांक:- 28/11/14

जिला कल्याण पदाधिकारी,  
पटना।

सेवा में,

प्राचार्य/रजिस्ट्रार,/

B. N. College, Patna.

विषय:- वितीय वर्ष 2012-13 में पिछड़ी जाति/अतिपिछड़ी/अनु० जाति/अनु०  
जनजाति के छात्र/छात्राओं के स्वीकृत छात्रवृति राशि का डी० डी० भेजने  
के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वर्ष 2012-13 में पिछड़ी  
जाति/अतिपिछड़ी के छात्र/छात्रा जो आपके महाविद्यालय/कॉलेज में अध्ययनरत है।  
उनकी स्वीकृत छात्रवृति/शिक्षण शुल्क की सूची सहित राशि डी० डी० के माध्यम से आपके  
भेजा जा रहा है। अगर कोई छात्र/छात्रा किसी दूसरे संस्थान से छात्रवृति/शिक्षण शुल्क  
प्राप्त किये है, तो इस राशि को अविलम्ब वापस कर दिया जाय एवं किसी छात्र/छात्रा को  
दो बार शुल्क भेज दिया गया है तो इसे अविलम्ब वापस किया जाय।

अतः छात्रों द्वारा आपके महाविद्यालय/कॉलेज में छात्रवृति/शिक्षण  
शुल्क की राशि जमा कर दिया है तो नियमानुकुल सूची में अंकित छात्रों का भेजे गए  
शिक्षण शुल्क तथा छात्रवृति की राशि जाँच करने के पश्चात् ही इसका भुगतान करना  
सुनिश्चित किया जाय एवं इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र इस कार्यालय को अविलम्ब उपलब्ध  
कराने की कृपा की जाय। इसकी पूर्ण जवाबदेही संस्थान की होगी।

अनुलग्नक:-

(1) डी०डी० सं०:- 026579

(2) राशि:- 3296 = 00

(3) सुचि:- .....।

ID- 256459

Red  
31/11/14

विश्वासभाजन

जिला कल्याण पदाधिकारी  
पटना।

# समाहरणालय, पटना।

(कल्याण शाखा)

फोन न०:- 0612-2219332(कल्याण)

फैक्स न०:- 0612-2219332(कल्याण)

E-mail - dwo-pat-bih@nic.in

dm-patna.bih@nic.in

पत्रांक:- 8124 / जि०, क०  
प्रेषक,

दिनांक:- 23/8/14

जिला कल्याण पदाधिकारी,  
पटना।

सेवा में,

प्राचार्य/रजिस्ट्रार,/

B.N. Calhoun A. S. K. Raspath

विषय:- वितीय वर्ष 2012-13 में पिछड़ी जाति/अतिपिछड़ी/अनु० जाति/अनु० जनजाति के छात्र/छात्राओं के स्वीकृत छात्रवृत्ति राशि का डी० डी० भेजने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वर्ष 2012-13 में पिछड़ी जाति/अतिपिछड़ी के छात्र/छात्रा जो आपके महाविद्यालय/कॉलेज में अध्ययनरत है। उनकी स्वीकृत छात्रवृत्ति/शिक्षण शुल्क की सूची सहित राशि डी० डी० के माध्यम से आपके भेजा जा रहा है। अगर कोई छात्र/छात्रा किसी दूसरे संस्थान से छात्रवृत्ति/शिक्षण शुल्क प्राप्त किये है, तो इस राशि को अविलम्ब वापस कर दिया जाय एवं किसी छात्र/छात्रा को दो बार शुल्क भेज दिया गया है तो इसे अविलम्ब वापस किया जाय।

अतः छात्रों द्वारा आपके महाविद्यालय/कॉलेज में छात्रवृत्ति/शिक्षण शुल्क की राशि जमा कर दिया है तो नियमानुकूल सूची में अंकित छात्रों का भेजे गए शिक्षण शुल्क तथा छात्रवृत्ति की राशि जाँच करने के पश्चात् ही इसका भुगतान करना सुनिश्चित किया जाय एवं इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र इस कार्यालय को अविलम्ब उपलब्ध कराने की कृपा की जाय। इसकी पूर्ण जवाबदेही संस्थान की होगी।

अनुलग्नक:-

(1) डी०डी० सं०:-.....।

(2) राशि:-.....।

(3) सुचि:-.....।

विश्वासभाजन

जिला कल्याण पदाधिकारी  
पटना।



checked

पटना समाहरणालय, पटना  
(जिला अल्पसंख्यक कल्याण शाखा)

पत्रांक 82 / जि0क0दिनांक-19.6.14

प्रेषक,  
जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी  
पटना।

सेवा में,  
प्राचार्य/प्राचार्या/रजिस्ट्रार  
Principal, B.N. College  
Ashok Rat Path  
Patna, 800004

विषय :- वित्तीय वर्ष 2011-12 में विद्यालय/महाविद्यालय में अध्ययनरत पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं के छात्रवृत्ति की राशि भेजने के संबंध में।

महाशय,  
उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2011-12 में पोस्ट मैट्रिक अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति के वितरण के संबंध में इस पत्र के साथ-साथ सूची संलग्न किया गया है। इस संबंध में निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन करते हुए आपको छात्रवृत्ति वितरण करना है।

allowed  
for  
30/07/14

सूची 1 (कॉलेज फी) की सूची है। इसके साथ डिमाण्ड ड्राफ्ट सं0-022039 दिनांक 14.5.14 कुल राशि 2,56,90/- (पच्चीस हजार छः सौ नब्बे)

संलग्न हैं। सूची में अंकित छात्र/छात्राओं का शिक्षण शुल्क उचित पहचान के उपरान्त संबंधित छात्र/छात्राओं को भुगतान किया जाना है।

2. सूची 2 (M. Fee) की सूची है। इसके साथ कुल 12 (Twelve D.D.)

डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न है। सूची में अंकित छात्र/छात्राओं को संबंधित M. Fee का डिमांड ड्राफ्ट वितरण करने के उपरान्त उनका हस्ताक्षर प्राप्त करना है और सूची को इस कार्यालय को अग्रसारित करना है।

Amount received  
cheque deposited  
in A/c  
H.No-12/032  
24/7/14

इसके साथ भुगतान करने के पश्चात सूची 1 की उपयोगिता प्रमाण पत्र (सूची के साथ) अभिप्रमाणित कर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

19/6/14

वरीय पदाधिकारी

19/6/14  
जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदा0  
पटना

समाहरणालय, पटना।  
(कल्याण शाखा)

फोन न०:- 0612-2219332(कल्याण)  
फैक्स न०:- 0612-2219332(कल्याण)  
E-mail - dwo-pat-bih@nic.in  
dm-patna.bih@nic.in

पत्रांक:- 10202/जि०, क०

प्रेषक,  
जिला कल्याण पदाधिकारी,  
पटना।

सेवा में,  
PRINCIPAL  
B N COLLEGE PATNA

दिनांक:- 14/10/14

विषय:- पिछड़ी जाति/अतिपिछड़ी जाति प्रवेशिकोतर छात्रवृत्ति 2012-13 के छात्रवृत्ति/अनिवार्य शिक्षण शुल्क की राशि का प्रेषण।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है, कि पिछड़ी जाति/अतिपिछड़ी जाति प्रवेशिकोतर छात्रवृत्ति 2012-13 के छात्रवृत्ति/अनिवार्य शिक्षण शुल्क की राशि चेक के माध्यम से संलग्न सूची अनुरूप भेजी जा रही है। अनुरोध है कि सूची में अंकित छात्र-छात्राओं को उक्त राशि के भुगतान के पूर्व निम्न तथ्यों के जाँच अपने स्तर से कर ली जाय:-

1. छात्र-छात्राएँ आपके संस्थान के वित्तीय वर्ष 2012-13 के नियमित छात्र हो।
2. छात्र-छात्राएँ संबंधित श्रेणी यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग से संबंधित हो।
3. छात्र-छात्राएँ को उक्त वित्तीय वर्ष के लिए किसी अन्य सरकारी संस्थान से छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हुई हों।
4. छात्र-छात्राएँ को पूर्व में छात्रवृत्ति/अनिवार्य शिक्षण शुल्क जैसा कि सूची में अंकित है, वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए भुगतान नहीं कर दिया गया हों। छात्रवृत्ति की राशि भुगतान से पूर्व छात्र-छात्राओं के खाता की जाँच अपने स्तर से कर ली जाय अथवा इस आशय की शपथ पत्र प्राप्त कर ली जाय कि वित्तीय वर्ष 2012-13 में पूर्व से छात्रवृत्ति की राशि प्राप्त नहीं है, इस शपथ पत्र को प्राप्ति रशिद के साथ अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाय।
5. अगर संस्थान एवं छात्र-छात्राओं को दो बार राशि प्राप्त हुई हो तो अधिशेष एवं राशि अद्योहस्ताक्षरी के पदनाम से वापस कर दी जाय। अनियमित भुगतान की जिम्मेवारी आपकी होगी।

अनुलग्नक:-

चेक सं०:-

राशि:- 42000

158548  
10/10/14

विश्वासभाजन,  
जिला कल्याण पदाधिकारी  
पटना।

दिनांक:-

जिला कल्याण पदाधिकारी  
पटना।

ज्ञापक:- /जि०/क०

प्रतिलिपि:- नाजीर, जिला कल्याण कार्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

158548  
10/10/14

# समाहरणालय, पटना।

(कल्याण शाखा)

फोन नं०- 0612-2219332(कल्याण)  
फैक्स नं०- 0612-2219332(कल्याण)  
E-mail - dwo-pat-bih@nic.in  
dm-patna.bih@nic.in

पत्रांक:- 232A/जि०, क०

प्रेषक,

जिला कल्याण पदाधिकारी,  
पटना।

सेवा में,

Principle B.N. College Patna

दिनांक:- 10.8.15

विषय:- अनुसूचित जाति प्रवेशिकोतर छात्रवृत्ति 2013-14 के छात्रवृत्ति/अनिवार्य शिक्षण शुल्क की राशि का प्रेषण।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है, कि अनुसूचित जाति प्रवेशिकोतर छात्रवृत्ति 2013-14 के छात्रवृत्ति/अनिवार्य शिक्षण शुल्क की राशि चेक के माध्यम से संलग्न सूची अनुरूप भेजी जा रही है। अनुरोध है कि सूची में अंकित छात्र-छात्राओं को उक्त राशि के भुगतान के पूर्व निम्न शर्तों के जाँच अपने स्तर से कर ली जाय:-

1. छात्र-छात्राएँ आपके संस्थान के वित्तीय वर्ष 2013-14 के नियमित छात्र हो।
2. छात्र-छात्राएँ संबंधित श्रेणी यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग से संबंधित हो।
3. छात्र-छात्राएँ को उक्त वित्तीय वर्ष के लिए किसी अन्य सरकारी संस्थान से छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हुई हों।
4. छात्र-छात्राएँ को पूर्व में छात्रवृत्ति/अनिवार्य शिक्षण शुल्क जैसा कि सूची में अंकित है, वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए भुगतान नहीं कर दिया गया हों। छात्रवृत्ति की राशि भुगतान से पूर्व छात्र-छात्राओं के खाता की जाँच अपने स्तर से कर ली जाय अथवा इस आशय की शपथ पत्र प्राप्त कर ली जाय कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में पूर्व से छात्रवृत्ति की राशि प्राप्त नहीं है, इस शपथ पत्र को प्राप्ति रशिद के साथ अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाय।
5. अगर संस्थान एवं छात्र-छात्राओं को दो बार राशि प्राप्त हुई हो तो अधिशेष एवं राशि अद्योहस्ताक्षरी के पदनाम से वापस कर दी जाय। अनियमित भुगतान की जिम्मेवारी आपकी होगी।

अनुलम्बक:-

चेक सं०:-

राशि:- 96,718.00

Mr. Avinash  
B.N. College  
12.9.15

विश्वासभाजन

जिला कल्याण पदाधिकारी  
पटना।

9/8/15



पटना समाहरणालय, पटना  
(कल्याण शाखा)

पत्राक - 1880 / जि0क0दिनाक- 08/10/13

प्रेषक,

जिला कल्याण पदाधिकारी  
पटना

सेवा में,

प्राचार्य/ रजिस्टार

BANK COLLEGE

PATNA-800005-

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2011-12 में विद्यालय/महाविद्यालय में अध्ययनरत पोस्ट मैट्रिक अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं की शिक्षण शुल्क की राशि भेजने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2011-12 में पोस्ट मैट्रिक अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं का छात्रवृत्ति (M.Fee) इस कार्यालय द्वारा संबंधित छात्र/छात्राओं को उपलब्ध करा दिया गया है। उन सभी छात्र/छात्राओं का शिक्षण शुल्क (College Fee) की राशि का चेक संख्या 168017 दिनांक 04/10/13 कुल राशि 35,220/- का भुगतान हेतु आपको भेजा जा रहा है। सूची में अंकित छात्र/छात्राओं का शिक्षण शुल्क उचित पहचान (यथा जाति एवं अंक पत्र) के आधार पर ही भुगतान किया जाना है। भुगतान करने के पश्चात उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र (सूची के साथ) अभिप्रमाणित कर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुलग्नक :-

Bhuvan B.  
PNP  
19/10/13

विश्वासभाजन

3  
24/10/13  
03-10-13

जिला कल्याण पदाधिकारी  
पटना

# समाहरणालय, पटना।

(कल्याण शाखा)

फोन न०:- 0612-2219332(कल्याण)  
फैक्स न०:- 0612-2219332(कल्याण)  
E-mail - dwo-pat-bih@nic.in  
dm-patna.bih@nic.in

पत्रांक: .../.../जि.क. / दिनांक: 23/1/2016.

प्रेषक,

जिला कल्याण पदाधिकारी,  
पटना।

सेवा में,

प्रचार्य/रजिस्ट्रार,  
B.N. College,  
Ashok Rajpath, Patna


विषय:- पिता के नाम में शुद्धिकरण करने के संबंध में।


महाशय,

वित्तीय वर्ष 2013-14 में अनुसूचित जाति/जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति में छात्र जयेश पासवान, की छात्रवृत्ति राशि कार्यालय पत्रांक- 2361 दिनांक- 11/08/2015 आपके यहाँ भेजी गयी थी, परन्तु छात्र जयेश कुमार के पिता का नाम लखिन्द्र पासवान के स्थान पर लखजीन्द्र पासवान हो गया है।

अतः छात्र जयेश कुमार के पिता- लखजीन्द्र पासवान के स्थान पर लखिन्द्र पासवान समझा जाय।

विश्वासभाजन

  
जिला कल्याण पदाधिकारी  
पटना

  
25/2/16.

# समाहरणालय, पटना।

(कल्याण शाखा)

फोन न०:- 0612-2219332(कल्याण)  
फैक्स न०:- 0612-2219332(कल्याण)  
E-mail - dwo-pat-bih@nic.in  
dm-patna.bih@nic.in

पत्रांक: ...1.3.8.6.../जि.क. / दिनांक: ...8/...3.../2016.

343

प्रेषक,

जिला कल्याण पदाधिकारी,  
पटना।

सेवा में,

बी.एन.कॉलेज,  
पटना।


विषय:- पिता के नाम में शुद्धिकरण करने के संबंध में।


महाशय,

वित्तीय वर्ष 2013-14 में अनुसूचित जाति/जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति में छात्र रवि शंकर कुमार, पिता- सुरकी मण्डल की छात्रवृत्ति राशि कार्यालय पत्रांक- 2405 दिनांक- 11/08/2015, जो आपके संस्थान को भेजी गयी थी, परन्तु छात्र रवि शंकर कुमार के पिता का नाम सुरकी मण्डल के स्थान पर सुर्कत मण्डल हो गया है।

अतः छात्र रवि शंकर कुमार के पिता- सुर्कत मण्डल के स्थान पर सुरकी मण्डल समझा जाय।

विश्वासभाजन

  
जिला कल्याण पदाधिकारी  
पटना



# समाहरणालय, पटना।

(कल्याण शाखा)

फोन नं०:- 0612-2219332(कल्याण)

फैक्स नं०:- 0612-2219332(कल्याण)

E-mail - dwo-pat-bih@nic.

dm-patna.bih@nic.

पत्रांक:- 1779 / ज.क. / दिनांक: 28/03/2016.

प्रेषक,

जिला कल्याण पदाधिकारी,

पटना।

सेवा में,

प्रचार/रजिस्ट्रार/निदेशक,

B. N. College, Patna.

विषय:- वित्तीय वर्ष 2013-14 में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग में छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति/शिक्षण शुल्क भुगतान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं का ऑफ लाइन छात्रवृत्ति इस पत्र के साथ सूची संलग्न कर भेजा जा रहा है, छात्रवृत्ति छात्र/छात्राओं को भुगतान करने के पूर्व निम्न आशय की जाँच आप के स्तर से आवश्यक है:-

1. वर्ष 2013-14 में इस छात्र/छात्रा को किसी अन्य जगह से छात्रवृत्ति नहीं मिला है।
2. छात्र/छात्रा पिछड़ा वर्ग का होना चाहिए।
3. छात्र/छात्रा वर्ष 2013-14 में आप के संस्थान में अध्ययनरत था एवं नवीकरण है।
4. स्वीकृत राशि छात्र को उचित पहचान के बाद ही भुगतान किया जायगा।

उक्त जाँच के बाद ही राशि भुगतान किया जाना है। भुगतान के बाद उपयोगिता प्रमाण पत्र अधोहस्ताक्षरी को भेजा जायगा। इस पत्र के साथ स्वीकृत राशि का चेक संलग्न है।

अनुलग्नक चेक संख्या:- 000218

दिनांक: 31-03-16

राशि: 40,000/-

राशि- एक लाख

Son Anisat Kumar  
09/4/16

Accountant  
09/04/16

B. N. COLLEGE  
PATNA  
Received on 09/4/16  
Time 12-30 PM  
Signature: [Signature]

विश्वासभाजन

जिला कल्याण पदाधिकारी

पटना

18-3-16

# समाहरणालय, पटना।

(कल्याण शाखा)

फोन न०:- 0612-2219332(कल्याण)

फैक्स न०:- 0612-2219332(कल्याण)

E-mail - dwo-pat-bih@nic.in

dm-patna.bih@nic.in

पत्रांक: 5/22/जि.क. / दिनांक: 17/1/8/2016.

प्रेषक,

जिला कल्याण पदाधिकारी,  
पटना।

सेवा में,

प्राचार्य,  
बिहार नेशनल कॉलेज, पटना।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2012-13 में पि.व./अ.पि.व. प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति छात्र/छात्राओं के लिए प्रेषित शिक्षण शुल्क की राशि चेक के माध्यम से भेजने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2012-13 में पि.व./अ.पि.व.के छात्र/छात्राओं से ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है, जिसकी स्वीकृत जिला स्तरीय छात्रवृत्ति समिति द्वारा की गयी है। संबंधित छात्र/छात्राओं का शिक्षण शुल्क की राशि चेक के माध्यम से राशि आपके संस्थान में भेजी जा रही है।

जिसके लिए निम्नलिखित शर्त को अपने स्तर से जाँच करते हुए शिक्षण शुल्क एवं छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान किया जाय। जो निम्नलिखित है:-

1. छात्र/छात्रा पूर्ण रूप से बिहार के मूल निवासी हो।
2. छात्र/छात्रा पि.व./अ.पि.व.से संबंधित हो।
3. वित्तीय वर्ष 2012-13 में आपके संस्थान के नियमित छात्र हो, तथा उक्त वित्तीय वर्ष में किसी अन्य श्रोत से छात्रवृत्ति नहीं मिली हो।
4. अगर छात्र/छात्रा को किसी अन्य श्रोत से भी छात्रवृत्ति राशि का भुगतान किया गया हो एवं दो बार राशि भेज दी गई हो, तो उनको अपने स्तर से जाँच करते हुए उनका छात्रवृत्ति एवं शिक्षण शुल्क की राशि अधोहस्ताक्षरी के पदनाम से वापस किया जाय। अगर ऐसा नहीं होता है, तो इसके लिए पूर्ण जिम्मेवारी संस्थान की होगी।
5. छात्र/छात्रा का शिक्षण शुल्क एवं छात्रवृत्ति की राशि भुगतान करने के पश्चात 15 दिनों के अन्दर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त रसीद के साथ संलग्न कर जिला कल्याण कार्यालय, पटना को भेजना सुनिश्चित करेंगे।
6. उपरोक्त वर्णित कंडिका का अनुपालन अनिवार्य है। किसी भी प्रकार की अनियमितता एवं गलत भुगतान की पूर्ण जबाबदेही आपकी होगी।

अनुलग्नक: सूची संलग्न।

चेक संख्या:- 000024 / 16-08-16

राशि:- 18,000/-

कृपया इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

जिला कल्याण पदाधिकारी  
पटना

समाहरणालय, पटना।  
(कल्याण शाखा)

फोन न०:- 0612-2219332(कल्याण)  
फैक्स न०:- 0612-2219332(कल्याण)  
E-mail - dwo-pat-bih@nic.in  
Dm-patna.bih@nic.in

पत्रांक ५१४५

/जि०क० दिनांक ०९.०८.१६

प्रेषक,

जिला कल्याण पदाधिकारी,  
पटना।

सेवा में,

PRINCIPAL  
BIHAR NATIONAL COLLEGE  
PATNA

विषय :- शैक्षणिक सत्र 2013-14 पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति भेजने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति मद में चेक सं०- दिनांक राशि 10,000/- रुपये पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है, पत्र के साथ संलग्न सूची में अंकित छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति भुगतान करने के पूर्व निम्न आशय की जाँच आपके स्तर से आवश्यक है :-

1. वर्ष 2013-14 में इस छात्र/छात्रा को किसी अन्य स्रोत से छात्रवृत्ति नहीं मिली हो।
2. छात्र/छात्रा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग का हो।
3. छात्र/छात्रा वर्ष 2013-14 में आपके संस्थान में अध्ययनरत रहा हो एवं सत्र 2012-13 में जिला कल्याण पदाधिकारी, पटना द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की गई हो।
4. छात्र/छात्रा बिहार के स्थायी निवासी हो।

उक्त जाँच के बाद ही राशि भुगतान किया जाना है। भुगतान के बाद उपयोगिता प्रमाण पत्र अधोहस्ताक्षरी को अविलम्ब भेजा जाय।

अनुलग्नक :-

चेक सं०- ००१०५०

दिनांक :- ०९-०८-२०१६

राशि :- 10,000/-

सूची :-

विश्वासभाजन

जिला कल्याण पदाधिकारी  
पटना

क्या अभिनंद/पाठ  
26/08/16

# समाहरणालय, पटना।

(कल्याण शाखा)

फोन नं०:- 0612-2219332(कल्याण)  
फैक्स नं०:- 0612-2219332(कल्याण)  
E-mail - dwo-pat-bih@nic.in  
dm-patna.bih@nic.in

पत्रांक: 7288 / जि.क. / दिनांक: 8/12/2016

प्रेषक,

जिला कल्याण पदाधिकारी,  
पटना।

सेवा में,

प्राचार्य/निदेशक/रजिस्ट्रार/विभागाध्यक्ष,  
B N COLLEGE PATNA

विषय:- वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति छात्र/छात्राओं के लिए प्रेषित छात्रवृत्ति एवं शिक्षण शुल्क की राशि एन0ई0एफ0टी0 के माध्यम से भेजने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके संस्थान में अध्ययनरत अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति के छात्र/छात्राओं से ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है, जिसकी स्वीकृति जिला स्तरीय छात्रवृत्ति समिति द्वारा की गयी है। संबंधित छात्र/छात्राओं का छात्रवृत्ति एवं शिक्षण शुल्क की राशि एन0ई0एफ0टी0 के माध्यम से खाता संख्या- 20955862174, राशि- 431096.00, यू0टी0आर0 नम्बर- 0550061691600074, दिनांक- 16/09/2016 द्वारा आपके संस्थान में भेज दी गई है।

जिसके लिए निम्नलिखित शर्त को अपने स्तर से जाँच करते हुए शिक्षण शुल्क एवं छात्रवृत्ति राशि का भुगतान किया जाय। जो निम्नलिखित है:-

1. छात्र/छात्रा पूर्ण रूप से बिहार का मूल निवासी हो।
2. छात्र/छात्रा अनुसूचित जाति एवं जनजाति से संबंधित हो।
3. वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके संस्थान के नियमित छात्र हो, उक्त वित्तीय वर्ष में किसी अन्य श्रोत से छात्रवृत्ति नहीं मिली हो।
4. अगर छात्र/छात्राओं को किसी अन्य श्रोत से भी छात्रवृत्ति राशि का भुगतान किया गया हो एवं दो बार राशि आपको प्राप्त हो, तो उनको अपने स्तर से जाँच करते हुए उनका छात्रवृत्ति एवं शिक्षण शुल्क की राशि अधोहस्ताक्षरी के पदनाम से वापस किया जाय, अगर ऐसा नहीं होता है तो इसके लिए पूर्व जिम्मेवारी संस्थान की होगी।
5. विदित हो कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति ऑनलाईन आवेदन पत्र आपके संस्थान द्वारा भेजा गया हो।
6. छात्र/छात्राओं को शिक्षण शुल्क एवं छात्रवृत्ति की राशि भुगतान करने के पश्चात 15 दिनों के अन्दर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्ति रसीद के साथ संलग्न कर जिला कल्याण कार्यालय, पटना को भेजना सुनिश्चित करेंगे।
7. उपरोक्त वर्णित कण्डिका का अनुपालन अनिवार्य है। किसी भी प्रकार की अनियमितता एवं गलत भुगतान की पूर्ण जबावदेही आपकी ही होगी।

अनुलग्नक:- छात्र/छात्राओं की सूची संलग्न।

विश्वासभाजन

जिला कल्याण पदाधिकारी

पटना

# समाहरणालय, पटना।

(कल्याण शाखा)

फोन नं०- 0612-2219332(कल्याण)  
फैक्स नं०- 0612-2219332(कल्याण)  
E-mail- dwo-pat-bih@nic.in  
dm-patna.bih@nic.in

पत्रांक- 2327/जि०, क०

प्रेषक,

जिला कल्याण पदाधिकारी,  
पटना।

सेवा में,

Principle B.N. College Patna

दिनांक:- 10-8-15

विषय:- अनुसूचित जाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति 2013-14 के छात्रवृत्ति/अनिवार्य शिक्षण शुल्क की राशि का प्रेषण।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है, कि अनुसूचित जाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति 2013-14 के छात्रवृत्ति/अनिवार्य शिक्षण शुल्क की राशि चेक के माध्यम से संलग्न सूची अनुरूप मेजी जा रही है। अनुरोध है कि सूची में अंकित छात्र-छात्राओं को उक्त राशि के भुगतान के पूर्व निम्न बातों के जाँच अपने स्तर से कर ली जाय:-

1. छात्र-छात्राएँ आपके संस्थान के वित्तीय वर्ष 2013-14 के नियमित छात्र हो।
2. छात्र-छात्राएँ संबंधित श्रेणी यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग से संबंधित हो।
3. छात्र-छात्राएँ को उक्त वित्तीय वर्ष के लिए किसी अन्य सरकारी संस्थान से छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हुई हों।
4. छात्र-छात्राएँ को पूर्व में छात्रवृत्ति/अनिवार्य शिक्षण शुल्क जैसा कि सूची में अंकित है, वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए भुगतान नहीं कर दिया गया हों। छात्रवृत्ति की राशि भुगतान से पूर्व छात्र-छात्राओं के खाता की जाँच अपने स्तर से कर ली जाय अथवा इस आशय की शपथ पत्र प्राप्त कर ली जाय कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में पूर्व से छात्रवृत्ति की राशि प्राप्त नहीं है, इस शपथ पत्र को प्राप्ति रशिद के साथ अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जाय।
5. अगर संस्थान एवं छात्र-छात्राओं को दो बार राशि प्राप्त हुई हो तो अधिशेष एवं राशि अद्योहस्ताक्षरी के पदनाम से वापस कर दी जाय। अनियमित भुगतान की जिम्मेवारी आपकी होगी।

अनुलम्बक:-

चेक सं०:-

राशि:- 96,718.00

Mr. Avinash  
Principle  
8/8-9-15

विश्वासभाजन

Shenad  
जिला कल्याण पदाधिकारी  
पटना।

4/8/15

# समाहरणालय, पटना।

(कल्याण शाखा)

फोन नं०:- 0612-2219332(6)

फैक्स नं०:- 0612-2219332(6)

E-mail - dwo-pat-bih@

dm-patna.bih@

पत्राक:- 40/3 / जि०, क०

प्रेषक,

जिला कल्याण पदाधिकारी,  
पटना।

सेवा में,

प्रचार्या/रजिस्ट्रार/निदेशक,

विषय:-

B.N. College, AM Mok Rajpasa, दिनांक:- 23.12.15  
वित्तीय वर्ष 2013-14 में अनु० जाति/अनु० जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति छात्र/छात्रों के लिए प्रेषित छात्रवृत्ति एवं शिक्षण शुल्क की राशि चेक के माध्यम से भेजने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में आपके संस्थान में अध्यापन अनु० जाति/अनु० जनजाति के छात्र/छात्राओं से आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है, जिसकी स्वीकृति जिला स्तरीय छात्रवृत्ति समिति द्वारा दी गई है। संबंधित छात्र/छात्राओं का छात्रवृत्ति एवं शिक्षण शुल्क की राशि चेक के माध्यम से राशि आपके संस्थान में भेजी जा रही है।

जिसके लिए निम्नलिखित शर्तों को अपने स्तर से जाँच करते हुए शिक्षण शुल्क एवं छात्रवृत्ति की राशि की भुगतान किया जाय। जो निम्नलिखित है:-

- 1 छात्र/छात्रा पूर्ण रूप से बिहार के मूल निवासी हो।
- 2 छात्र/छात्रा अनु० जाति/जनजाति से संबंधित हो।
- 3 वित्तीय वर्ष 2013-14 में आपके संस्थान के नियमित छात्र हों, तथा उक्त वित्तीय वर्ष में किसी अन्य श्रोत से छात्रवृत्ति नहीं मिली हो।
- 4 अगर छात्र/छात्रा को किसी अन्य श्रोत से भी छात्रवृत्ति राशि का भुगतान किया गया हो एवं दो बार राशि भेजा जा चुका हो तो उनको अपने स्तर से जाँच करते हुए उनका छात्रवृत्ति एवं शिक्षण शुल्क की राशि अधोहस्ताक्षरी के पदनाम से वापस किया जाय। अगर ऐसा नहीं होता है, तो इसके लिए पूर्ण जिम्मेवारी संस्थान की होगी।
- 5 विदित हो के वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति ऑफ लाईन आवेदन पत्र आपके संस्थान द्वारा भेजा गया हो।
- 6 छात्रा/छात्राओं का शिक्षण शुल्क एवं छात्रवृत्ति की राशि भुगतान करने के पश्चात 15 दिनों के अन्दर उपयुक्त प्रमाण पत्र प्राप्ति रशिद के साथ संलग्न कर जिला कल्याण कार्यालय, पटना को भेजना सुनिश्चित करेंगे।
- 7 उपरोक्त वर्णित कंडिका का अनुपालन अनिवार्य है। किसी भी प्रकार की अनियमित एवं गलत भुगतान की पूर्ण जवाबदेही आपकी ही होगी।

अनुलग्नक:- सूची संलग्न।

चेक नं०:- 000091/29.12.15

राशि:- 105800/-

110800/-

कृपया इसे अतिआवश्यक समझें।

विश्वनाथराजन

जिला कल्याण पदाधिकारी  
पटना।  
9/12/15  
9/12/15

Cheque deposited in  
A/c Bank, A/c no-121032  
13/1/16

# समाहरणालय, पटना।

(कल्याण शाखा)

फोन नं०:- 0612-2219332(कल्याण)  
फैक्स नं०:- 0612-2219332(कल्याण)  
E-mail - dwo-pat-bih@nic.in  
dm-patna.bih@nic.in

पत्रांक:- 2024 / जि०, क० 06/7/15

प्रेषक,

जिला कल्याण पदाधिकारी,  
पटना।

सेवा में,

प्राचार्य / रजिस्टार

B.N. College  
Patna.

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2012-13 में अनु० जाति/अनु० जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोतर छात्रवृत्ति एवं शिक्षण शुल्क भेजने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2012-13 में आपके संस्थान में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति भेजी गई थी, उन्हें किसी कारण वश प्राप्त नहीं हुआ अथवा चेक वापस कार्यालय को प्राप्त हो गया उन्हें मिलान कर इस पत्र के साथ पुनः भेजी जा रही है। शिक्षण शुल्क छात्रों को भुगतान करने से पूर्व निम्नलिखित शर्तें पूर्ण होना आवश्यक है:-

- 1 छात्र/छात्राएँ अनु० जाति/अनु० जनजाति/पिछड़ी जाति समूदाय की होनी चाहिए।
- 2 वित्तीय वर्ष 2012-13 में आपके संस्थान के नियमित छात्र/छात्राएँ हों, उक्त वित्तीय वर्ष में किसी अन्य श्रोत से छात्रवृत्ति नहीं मिली हो।
- 3 अगर छात्र/छात्राओं को किसी अन्य श्रोत से भी छात्रवृत्ति राशि का भुगतान किया हो या अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से दूबारा राशि भेजी गई हो तो वैसी स्थिति में अधोहस्ताक्षरी के पदनाम से राशि वापस किया जाय। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसकी सारी जवाबदेही संस्थान की होगी।
- 4 विदित हो कि वित्तीय वर्ष 2012-13 में प्रवेशिकोतर छात्रवृत्ति हेतु ऑन लाईन आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है, जिसका सत्यापन आपके संस्थान से अनिवार्य है।
- 5 छात्र/छात्राओं को शिक्षण शुल्क एवं छात्रवृत्ति की राशि उनके खातों में अंतरण करते हुए, 15 दिनों के अंदर उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजना सुनिश्चित करेंगे, साथ ही अवितरित राशि का चेक अधोहस्ताक्षरी के पदनाम से वापस भी करेंगे। प्राप्ति रसीद के साथ संलग्न कर जिला कल्याण कार्यालय, पटना को भेजना सुनिश्चित करेंगे।
- 6 छात्रवृत्ति भुगतान के पूर्व छात्र/छात्राओं से इस आशय का प्रमाण पत्र भी प्राप्त करेंगे कि पूर्व में उक्त शैक्षणिक सत्र हेतु उन्हें छात्रवृत्ति/विविध शुल्क किसी अन्य संस्थान से प्राप्त नहीं हुआ है।
- 7 उपरोक्त वर्णित कंडिका का अनुपालन अनिवार्य है। किसी भी प्रकार की अनियमितता या गलत भुगतान की स्थिति में पूर्ण जवाबदेही संस्थान की होगी।

कृपया इसे अति आवश्यक समझें।

राशि-

18,000/-

चेक संख्या-

000516

दिनांक-

31/7/15

विश्वासभाजन

जिला कल्याण पदाधिकारी  
पटना।

Abhinav  
D/ESTB  
08/08/15

# समाहरणालय, पटना ।

(कल्याण शाखा)

फोन नं०:- 0612-2219332(कल्याण)

फैक्स नं०:- 0612-2219332(कल्याण)

E-mail - dwo-pat-bih@nic.

dm-patna.bih@nic.

पत्रांक:- 8351/जि०, क०

दिनांक:- 2/9/14

प्रेषक,

जिला कल्याण पदाधिकारी,  
पटना ।

सेवा में,

**Principal**

**B N College Patna**

विषय:- पिछड़ी जाति/अतिपिछड़ी जाति की छात्रवृत्ति/शिक्षण शुल्क 2012-13 का चेक भेजने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिये पिछड़ी जाति/अतिपिछड़ी जाति के छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति एवं शिक्षण शुल्क की राशि संलग्न सूची में अंकित छात्र/छात्राओं के नाम के सामने अंकित राशि को भुगतान करने हेतु चेक सं०- 000106 दिनांक:- 02/09/14 राशि 45000/- संलग्न कर भेजा जाता है ।

आपसे अनुरोध है कि छात्र/छात्राओं के नाम के सामने अंकित राशि का भुगतान नियमानुसार एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से कर उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजना सुनिश्चित करेंगे । भुगतान करने के पूर्व आप सुनिश्चित होना चाहेंगे की उक्त अवधि के लिए किसी प्रकार की छात्रवृत्ति की राशि एन० ई० एफ० टी०/आर० जी० एस० एवं चेक अथवा डी०डी० से छात्र/छात्राओं के द्वारा नहीं ली गई है । अगर भुलवश किसी छात्र/छात्रा की छात्रवृत्ति राशि दोबारा भेज दी गई हो तो उसे जिला कल्याण पदाधिकारी, पटना के नाम से चेक अथवा डी०डी० के माध्यम से वापस करने की कृपा करेंगे । इसके साथ ही साथ राशि छात्र/छात्रा को हस्तगत कराते हुए इसकी उपयोगिता प्रमाण पत्र अद्योहस्ताक्षरी को अविलम्ब भेजना सुनिश्चित करेंगे ।

अनुलग्नक:-

चेक सं०:-

कुल राशि:- 45000

विश्वासभाजन

जिला कल्याण पदाधिकारी  
पटना ।

पत्रांक:- ...../जि०क०

दिनांक:- .....

प्रतिलिपि:- नाजीर, जिला कल्याण कार्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं पूर्व में निर्गत चेक के साथ संलग्न सूची में अंकित राशि का मिलान करते हुए उतनी ही राशि का उसी सूची का पूनः चेक निर्गत करने हेतु प्रेषित ।

जिला कल्याण पदाधिकारी  
पटना ।

OFFICE OF THE DISTRICT WELFARE OFFICER COLLEGE

Patna Collectorate, Patna (Near Gandhi Maidan) PATNA

Email:- dwo-pat-bih@nic.in, Ph:- 0612-2219333

Office of The Principal  
Office of The Principal  
Received on Adm Form.....13/05/17  
B.Sc. Math/Bio.....12-30 AM  
Signature.....  
Ref. No:- 4921/BCEBC/PAT  
Date:- 23-03-2017

To,

The Principal/ Registrar/Director,

BIHAR NATIONAL COLLEGE ASHOK RAJPATH PATNA

Subject: Regarding remittance of Scholarship money and tuition fees of BC/EBC students enrolled at your institute for the financial year 2015-2016.

With reference to the above, we wish to state that we have received online applications of BC/EBC students presently enrolled in your institute, which have been approved by District level Scholarship Committee. The scholarship and tuition fees of the students have been remitted to your institute through NEFT, details of which are:

ACCOUNT_NO	UTR_NO	DATE_OF_TRANSACTION	NO_OF_STUDENTS	TOTAL_FEE (Rs.)
'20955862174	05500627C1600016	28-12-2016	18	7560
'20955862174	05500628C1600019	28-12-2016	117	50305
20955862174	0550061111700031	11.01.2017	1	10000
20955862174	550061111700053	11.01.2017	1	10000
20955862174	550061111700058	11.01.2017	3	30000
20955862174	550061111700066	11.01.2017	1	10000
20955862174	550061111700067	11.01.2017	1	10000
20955862174	550061111700077	11.01.2017	1	10000
20955862174	550061211700032	12012017	40	390000

You are hereby requested to pay the scholarship amount as well as tuition fees to eligible students, subject to the fulfillment of the following conditions:

- That the student should be a resident of PATNA DISTRICT in STATE OF BIHAR and belong to BACKWARD CLASS /EXTERMILY BACKWARD CLASS Category.
- That the student should be a regular student and should not have availed any scholarship from any other sources in 2015-16 financial year.
- In case your institute has received scholarship amount (tuition fees) twice for the same student and same session enrolled with your institute, you are hereby requested to remit back the amount to the undernoted signatory.
- That the online applications received by us in the financial year should have been forwarded and acknowledged by your institute.
- Please ensure that utilization certificate and receipt is sent to District Welfare Office, Patna within 15 days of making the payment to the students.

Please ensure strict compliance with the above terms. In case any discrepancies observed in compliance with the above mentioned rules, will be held solely responsible.

Sd/-  
13/05/17